18/1/22

वकुलाम इस्म वकील प्रतिवादी से प्रार्थना-पत्र [illegible] CPC का लेकर पेश किया गया कि [illegible] व्यवस्था दी 140 की ओर से जवाब उत्तर किया गया कि वाद ही प्रतिवादी की ओर से वकील प्रतिवादी से प्रार्थना-पत्र O7R11 CPC पेश किया गया कि [illegible] वाद खारिज जवाब / वाद प्रार्थना-पत्र O7R11 दिनांक 19/1/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

19.1.22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम इस्तियाक। आज से प्रार्थना-पत्र O7R11CPC को जवाब पेश किया गया कि [illegible] व प्रार्थना-पत्र O7R11C पर बहस वकुलाम सुनी गई। खारिज आदेश पत्रावली दिनांक 2/2/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित। अतः प्रार्थना-पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी० अधीनियम सुन्दर करेत का खारिज किया जाकर अपील का प्रार्थना-पत्र धारा 25(A) राजस्थान काश्तकारी [illegible] व इसके साथ संलग्न पत्र आई। रूल 10 जाब्ता दी० के अधिकार को किन्तु पर विधि के [illegible] के कारण खण्डित किये गये हैं। निर्धन प्रस्तुत किया जाकर धारा सिट किये। पत्रावली पेशकर [illegible] के बाद लेकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)